न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 295/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. गुरविन्द्र सिह पुत्र कुलवीर सिह पौत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. सुखदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
2. कुलवीर सिह पुत्र पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
3. वीरपालकौर पुत्री गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
4. कर्मजीत कौर उर्फ इकबाल कौर पुत्री पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
5. सर्वजीतकौर पुत्री पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1. श्री नरेश मण्डा अधिवक्ता वादी
2. श्री संजय धारणियां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 6

निर्णय   दिनांक :— 18.04.2019

वादी गुरविन्द्र सिह ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पूर्ण व सही पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है।

वादी व प्रतिवादी एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के संयुक्त परिवार की सांझा कृषि भूमि है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 141/121 में 3.340 है. व चक 9 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 101/91 में 3.156 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड

है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिन्दु सहदायिकी सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन हिस्सा अनुसार कर रखा है। घरू विभाजन में वादी को चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 141/121 में 1.645 है. व चक 9 एएमपी जमाबन्दी सम्वत 71/74 के खाता संख्या 101/91 में 1.898 है. व प्रतिवादी संख्या 2 को चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 141/121 में 1.338 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। घरू विभाजन के अनुसार वादी उपरोक्त कृषि भूमि अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। व चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता संख्या 25/24 में प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि में गै.मु. रास्ता 0.077 है. दर्ज था लेकिन नई जमाबन्दी बनाते वक्त वर्तमान जमाबन्दी में गै.मु. रास्ता की प्रविष्ठी का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ था। जिसकी जमाबन्दियां संलग्न वाद पत्र है। जिससे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी ने हिस्सा अनुसार घरू विभाजन वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार कर रखा है। उक्तानुसार वादी उक्त चकों के उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 इसी हद तक हिस्सा कम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के घरू विभाजन के अनुसार व परिवार की सुखशान्ति स्थापित करने के उदेश्य से अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का कोइ हक व हिस्सा नहीं रहा है।

वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादी से निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होना मान लेवें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादी पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु अन्त में कतई स्पष्ट् इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया,तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के साथ अपना राजीनामा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रति पेश की है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने जवाब दावा मय इकबालदावा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्रप्रति पेश की है। पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत बोलावाली से जारी वारिसनामा मूल ही पेश किया है साथ में पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 17 बीजीपी के खाता संख्या 25/24 प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 की प्रति पेश की है। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व

रिकार्ड में दर्ज आराजी विरास्तन है जिसमे वादी का विरासतन हक व हिस्सा बनता है। जमाबन्दी प्रति शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। पैतृक सम्पति से वाद वादी साबित है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने राजीनामा मय जवाब दावा व प्रस्तुत पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सुखदेव सिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज है को वादी उपर्युक्तानुसार दर्ज करवाना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय जवाब दावा व पैतृक सम्पति साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादी को चक नं. 17 बीजीपी जमबान्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 141/121 में दर्ज कुल आराजी 1.647 है. व चक 9 ए.एम.पी. जमबान्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 101/191 में 1.898 है. एवं प्रतिवादी संख्या 2 को चक 17 बीजीपी जमबान्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 141/121 में 1.338 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक उक्त चको के उक्त खातो में से हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खातो में यथावत रखा जावे। तथा चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 27/25 में गै.मु. रास्ता 0.077 है कि प्रविष्ठी विलोपित कर इसी चक के खाता संख्या 141/121 में गै.मु. रास्ता की प्रविष्ठी 0.077 है. दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–295 / 2018

1 गुरविन्द्र सिह पुत्र कुलवीर सिह पौत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. सुखदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
2. कुलवीर सिह पुत्र पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
3. वीरपालकौर पुत्री गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
4. कर्मजीत कौर उर्फ इकबाल कौर पुत्री पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
5. सर्वजीतकौर पुत्री पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणिया वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चक नं. 17 बीजीपी जमबान्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 141 / 121 में दर्ज कुल आराजी 1.647 है. व चक 9 ए.एम.पी. जमबान्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 101 / 191 में 1. 898 है. एवं प्रतिवादी संख्या 2 को चक 17 बीजीपी जमबान्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 141 / 121 में 1.338 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक उक्त चको के उक्त खातो में से हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खातो में यथावत रखा जावे। तथा चक 17 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 27 / 25 में गै.मु. रास्ता 0.077 है कि प्रविष्ठी विलोपित कर इसी चक के खाता संख्या 141 / 121 में गै.मु. रास्ता की प्रविष्ठी 0.077 है. दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। यदि उक्त प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो ऋण चुकता प्रमाण–पत्र पेश करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.............निल..........मुब्लिक................निल.............बाबत्.....................निल................खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....................अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.04.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 13:35:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: